रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-21052025-263260 CG-DL-E-21052025-263260

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2225] No. 2225]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 21, 2025/वैशाख 31, 1947 NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 21, 2025/VAISAKHA 31, 1947

_

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मई, 2025

[संख्या35/2025-सीमाश्ल्क (गै.टे.)]

का.आ. 2279(अ).—जबिक सीमाशुल्क के अधिकारियों, जिनके क्षेत्राधिकार में सौ प्रतिशत निर्यात उन्मुख उपक्रमों (ईओयू) स्थित हैं, उन्हें केंदीय उत्पाद शुल्क अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है और उन्हें भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खंड 3, उपखंड (i), सा.का.नि. 467(अ) दिनांक 26 जून, 2001 के द्वारा प्रकाशित अधिसूचना की क्रम संख्या 7 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट रैंक के केंदीय उत्पाद शुल्क के अधिकारी के रूप में भारत के पूरे राज्यक्षेत्र में उनके द्वारा प्रयोग की जाने वाली सभी शक्तियां प्रदान की जाती है:

और जबिक, सौ प्रतिशत निर्यात उन्मुख उपक्रमों के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अधिकारियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले क्षेत्राधिकार अधिसूचना [संख्या 52/2003-सीमाशुल्क], जो दिनांक 31 मार्च, 2003 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ॥ खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 274(अ) के तहत प्रकाशित हुई थी, और अधिसूचना [संख्या

3339 GI/2025 (1)

79/2018- सीमा शुल्क] जो दिनांक 06 दिसंबर, 2018 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 1176(अ) के तहत प्रकाशित हुई थी, द्वारा सीमा शुल्क के अधिकारियों को अंतरित किया गया है;

अतः अब सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 3 और धारा 5 की उप-धारा (1) एवं 1(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना आवश्यक है, यह विनिर्दिष्ट करता है कि, जहां कोई नोटिस, जिसमें सीमाशुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क दोनों की मांग है और जिसे मूल रूप से केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी द्वारा केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 के नियम 3 के अनुसार अधिनिर्णित किया गया था, को वापस किया गया है और उन सौ प्रतिशत निर्यात उन्मुख उपक्रमों के संबंध में नए सिरे से अधिनिर्णय के लिए लंबित है, तो ऐसा नोटिस उक्त अधिनियम के अंतर्गत अधिनिर्णय के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित तरीके से समनुदेशित समझा जाएगा, अर्थात:-

- (i) उपायुक्त, सीमाशुल्क या सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क, जिसका क्षेत्राधिकार ऐसे सौ प्रतिशत निर्यात उन्मुख उपक्रमों के एकक पर है, द्वारा पांच लाख रुपये तक के कुल शुल्क से संबंधित नोटिस;
- (ii) अपर आयुक्त, सीमा शुल्क या संयुक्त आयुक्त, सीमा शुल्क जिसका क्षेत्राधिकार ऐसे सौ प्रतिशत निर्यात उन्मुख उपक्रमों के एकक पर है, द्वारा पचास लाख रुपये तक के कुल शुल्क से संबंधित नोटिस; एवं
- (iii) प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क या आयुक्त, सीमा शुल्क जिसका क्षेत्राधिकार ऐसे सौ प्रतिशत निर्यात उन्मुख उपक्रमों के एकक पर है, द्वारा पचास लाख रुपये से अधिक के कुल शुल्क से संबंधित नोटिस;
 - 2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख़ से लागू होगी।

[फा. सं. 450/162/2023-सीमा शुल्क IV]

आर. अनंत, निदेशक (सीमा शुल्क)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th May, 2025

[No. 35/2025 - Customs (N.T.)]

S.O. 2279(E).—WHEREAS the officers of customs, in whose jurisdiction hundred percent export oriented undertakings (EOU) are located, are appointed as Central Excise Officers and invested with all the powers, to be exercised by them throughout the territory of India, of an officer of Central Excise of the rank specified under serial No. 7 of the notification [No. 38/2001-Central Excise (N.T.)], published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) *vide* number G.S.R. 467(E), dated the 26th June, 2001;

AND WHEREAS, the jurisdiction exercised by the officers of Central Excise for hundred percent export oriented undertakings has been transferred to the officers of Customs *vide* notification [No. 52/2003-Customs], published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) *vide* number G.S.R. 274(E), dated the 31st March, 2003 and notification [No. 79/2018-Customs], published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) *vide* number G.S.R. 1176(E), dated the 6th December, 2018;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 read with section 3 and sub-sections (1) and (1A) of section 5 of the Customs Act, 1962(52 of 1962) (hereinafter referred as to as the said Act), the Central Board of Indirect Taxes and Customs, being satisfied that it is necessary so to do, specifies that, where any notice having demand of both customs duty and central excise duty and were originally adjudicated by the Central Excise Officer in terms of rule 3 of the Central Excise Rules, 2002, has been remanded back and is pending

for *de-novo* adjudication in relation to that hundred percent export oriented undertakings, such notice shall stand assigned for the purpose of adjudication under the said Act, in the following manner, namely:-

- (i) notice involving aggregate duty up to rupees five lakhs, by Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs having jurisdiction over such hundred percent export oriented undertakings unit;
- (ii) notice involving aggregate duty up to rupees fifty lakhs, by Additional Commissioner of Customs or Joint Commissioner of Customs having jurisdiction over such hundred percent export oriented undertakings unit; and
- (iii) notice involving aggregate duty above rupees fifty lakhs, by Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs having jurisdiction over such hundred percent export oriented undertakings unit.
- 2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 450/162/2023-Cus IV]

R. ANANTH, Director (Customs)